<u>न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़</u>

पीठासीन अधिकारी :– करतार सिंह पूनीयॉ आर.ए.एस

अपील सं0 2017 / 00372 (380 / 2017)
मोहनी देवी पत्नी औमप्रकाश जाति जाट निवासी मोठसरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
– अपीलान्ट

बनाम

1. मु0 लिछमा पुत्री रामजस पत्नी बलवान सिह जाति जाट निवासी बगला तहसील आदमपुर जिला हिसार, हरियाणा।
2. मु0 श्योकोरी पुत्री रामजस पत्नी सरजीतसिह जाति जाट निवासी काली रावण तहसील आदमपुर जिला हिसार हरियाणा।

–असल रेस्पो0 / वादीगण

3. मुन्शीराम पुत्र रामजस जाति जाट निवासी मोठसरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
4. प्रियंका } पुत्रीयान ओमप्रकाश जाति जाट निवासी मोठसरा तहसील
5. स्नेहा उर्फ कृष्णा } तहसील भादरा
6. उपखण्डाधिकारी राजस्व भादरा तहसील भादरा —— रेस्पोडैन्टस

अपील विरूद्व निर्णय एवं डिक्री दिनांक 23.03.2009 व 14.06.2016 द्वारा उपखण्ड अधिकारी राजस्व भादरा, प्र0सं0 588 / 2002 बअनवानी मु0 लिछमा बनाम मुंशीराम आदि
श्री माडूराम सहारण अधिवक्ता अपीलाण्ट की ओर से ।
श्री विजय सिंह कड़वासरा अधिवक्ता रस्पोडैन्ट सं0 1 व 2 की ओर से
श्री हवासिंह पूनियॉ अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट सं0 4 व 5 की ओर से

<u>**निर्णय**</u> दिनांक – 7.7.2021

1. प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय मे रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 / वादीगण ने एक वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 92, एवं 188 के अन्तर्गत पेश किया। वादपत्र में कथन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादी सं0 1 के पिता प्रतिवादी सं0 2 के पति पोत्र, 3 4 के दादा व 5 के ससुर रामजस व उनके सगे भाई जयनारायण की रोही मौजा मोठसरा में ख0 नं0 101 में 19 बीघा 15 बिस्वा, ख0 नं0 189 में 20 बीघा, ख0 नं0 203 में 7 बीघा 7 बिस्वा, ख0 नं0 257 की 4 बीघा 1 बिस्वा ख0 नं0 319 की 26 बीघा 2 बिस्वा ख0 [illegible] बिस्वा कुल 96 बीघा 10 बिस्वा खातेदारी भूमि दर्ज रिकार्ड है। रामजस, जयनारायण [illegible] हो चुकी है रामजस के 1 / 2 हिस्सा में वादीगण व प्रतिवादीगण [illegible] हैं [illegible] के पांचों वारिसान [illegible] इंतकाल

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.09.06 14:30:01 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

दर्ज कर दिया गया है। मुंशीराम व औमप्रकाश ने वादीगण से छल कपट करके उपपंजीयक भादरा के कार्यालय में दस्तबरदारी दस्तावेज बना लिया और वादीगण के अंगूठे करवा लिए तथा जिसके आधार पर अधिकार अभिलख में पहले से बतौर खातेदार जरिये नामान्तरण दर्ज करवा लिया। वादीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में अपने हकों की घोषणा करने, दस्तबरदारी को निरस्त करने प्रतिवादीण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष मांगा। प्रतिवादीगण ने जवाब पेश करते हुए वाद को नामंजूर करने का कथन किया दस्तबरदारी स्वेच्छा से तस्दीक व तकमील करना बताया एवं वादीगण पर एस्टोपल का सिद्धान्त आरिज होना बताया एवं वाद को खारिज करने का कथन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने वाद वादिया स्वीकार किया जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील प्रस्तत की है।

2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय एवं डिक्री विधि विरूद्ध है व प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त के विरूद्ध पारित किया गया है। अपीलाण्ट के वकील ने अधीनस्थ न्यायालय में हिदायत पैरवी नहीं होना लिखकर अपनी उपस्थिति नही दी इसलिए अपीलाण्ट के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की है, जबकि वकील ने अपीलाण्ट को कोई सूचना नहीं दी उसे सूचना दी जानी चाहिए थी। दस्तबरदारी दिनांक 17.05.1993 को तस्दीक नही करवाया गया। दस्तबरदारी को निरस्त करने का अधिकार केवल सिविल न्यायालय को है। इसे सिविल न्यायालय द्वारा निरस्त नहीं किया गया है और वादीगण का वाद भूमि पर कब्जा नही है। वादीगण ने अपना हिस्सा जरिये दस्तबरदारी मुंशीराम के हक में त्याग कर दिया है और भूमि मुंशीराम व औमप्रकाश के नाम दर्ज हो चुकी है। अपीलाण्ट के कोई लड़का नही है इसलिए उसका हक मारने के लिए दूर्भिसंधी की गई है। अधीनस्थ न्यायालय ने तनकीयात कायम की मगर वाद का निस्तारण तनकीवाईज नहीं किया गया है। राजस्थान सरकार को पक्षकार नही बनाया गया है। अपीलाण्ट को अपीलाधीन निर्णय का ज्ञान नहीं था। ज्ञान होते ही अपील पेश कर दी है। अपील ज्ञान से अंदर मियाद है। डिले कन्डोन की जावे एवं अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जावे। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में सीसीसी 1988 पेज 419 (पी एण्ड एच), 2011 (1) आरआरटी पेज 634, 2011 (1) 640, रिवीजन/आई0आर0/589/2005/जोधपुर, 2014(1) आरआरटी पेज 509 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट सं0 1 [illegible] किया कि अपीलांट ने यह अपील मिथ्या तथ्यों के आधार पर [illegible] को अपीलाधीन निर्णय का ज्ञान पूर्व से ही रहा है। इन्होंने अपना [illegible] अपीलांट को मातहत अदालत

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.09.06 14:30:01 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

में पैरवी करनी चाहिए थी। वकील व अपीलांट की गलती को माफ नहीं किया जा सकता। अपीलांट ने आठ वर्ष की देरी से अपील पेश की है, जिसका कोई संतोषजनक कारण नहीं बताया है। दस्तबरदारी में हमारी सहमती नहीं थी जिसके आधार पर नाम दर्ज किया गया है, जो हमारे हकों के खिलाफ है। नामांतरण प्रभाव शुन्य है। रेस्पोडेण्ट अपने हकों की बहाली जरिये वाद बहाल करवाने का अधिकारी है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री विधिसम्मत है अतः अपील खारिज की जावे। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आरआरटी 2008(2) पेज 91 का न्यायिक दृष्टांत पेश किया।

5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

6. अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम सशपथ होने एवं अपील का निस्तारण गुणावगुण पर श्रेयसकर होने के कारण प्रा0पत्र स्वीकार किया जाता है। अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

7. जहां तक गुणावगुण का प्रश्न है रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 ने वाद पेश किया था जिसमें प्रतिवादी सं0 1 व 2 द्वारा इकबालिया जवाब पेश किया गया जबकि प्रतिवादी सं0 3 ता 5 की ओर से जवाब प्रस्तुत कर वाद के कथनों और तर्कों को नामंजूर किया गया। वाद में कुल 9 तनकीयात कायम की गई। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी वाईज निर्णय नहीं किया है। विधि अनुसार वाद में यदि तनकीयात कायम कर दी गई है तो निर्णय भी तनकी वाईज विवेचन कर किया जाना चाहिए था। अतः अपील आशिंक स्वीकार किये जाने योग्य है एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय का पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किय जाने योग्य है।

8. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण अनुसार अपील आशिंक स्वीकार की जाती है एवं उपखण्डाधिकारी भादरा के अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 23.03.2009 तथा 14.06.2016 निरस्त किये जाते हैं। प्रकरण विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में उभय पक्ष को सुनकर तनकी वाईज विवेचन कर निर्णय पारित करें। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णय शुमार हो नम्बर से कम कर दाखिल दफ्तर हो।

9. निर्णय आज दिनांक 7/7/21 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

7/7/21

(करतार सिंह पूनियां) आर.ए.एस

राजस्व अपील अधिकारी

हनुमानगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartar Singh Poonia

Date: 2021.09.06 14:30:01 IST

Reason: SelfAttested

डिक्री व सीगे अपील

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– करतार सिंह पूनीयॉ आर.ए.एस

अपील सं0 2017/00372 (380/2017)

मोहनी देवी पत्नी औमप्रकाश जाति जाट निवासी मोठसरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।

– अपीलान्ट

बनाम

1. मु0 लिछमा पुत्री रामजस पत्नी बलवान सिह जाति जाट निवासी बगला तहसील आदमपुर जिला हिसार, हरियाणा।
2. मु0 श्योकोरी पुत्री रामजस पत्नी सरजीतसिह जाति जाट निवासी काली रावण तहसील आदमपुर जिला हिसार हरियाणा।

–असल रेस्पो0/वादीगण

3. मुन्शीराम पुत्र रामजस जाति जाट निवासी मोठसरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
4. प्रियंका
5. स्नेहा उर्फ कृष्णा

पुत्रीयान ओमप्रकाश जाति जाट निवासी मोठसरा तहसील तहसील भादरा

6. उपखण्डाधिकारी राजस्व भादरा तहसील भादरा

–– रेस्पोडैन्टस

अपील विरूद्व निर्णय एवं डिक्री दिनांक 23.03.2009 व 14.06.2016 द्वारा उपखण्ड अधिकारी राजस्व भादरा, प्र0सं0 588/2002 बअनवानी मु0 लिछमा बनाम मुंशीराम आदि

श्री माडूराम सहारण अधिवक्ता अपीलाण्ट की ओर से ।

श्री विजय सिंह कड़वासरा अधिवक्ता रस्पोडैन्ट सं0 1 व 2 की ओर से

श्री हवासिंह पूनियॉ अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट सं0 4 व 5 की ओर से

आज यह अपील रूबरू हाजिर श्री माडूराम सहारण अधिवक्ता अपीलाण्ट की ओर से श्री विजय सिंह कड़वासरा अधिवक्ता रस्पोडैन्ट सं0 1 व 2 की ओर से व श्री हवासिंह पूनियॉ अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट सं0 4 व 5 की ओर से पेश होकर हुक्म हुआ है कि अपील आशिंक स्वीकार की जाती है एवं उपखण्डाधिकारी भादरा के अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 23.03.2009 तथा 14.06.2016 निरस्त किये जाते हैं। डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख 07.09.2021 को जारी की गई।

(करतार सिंह पूनीया) आर.ए.एस
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Karrar Singh Poonia
Date: 2021.09.06 14:30:01 IST
Reason: SelfAttested